-1-

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. कं. / 2011 निगरानी R-758-II/2011

मैसर्स पेप्टेक कन्स्ट्रक्शन फर्म
द्वारा पार्टनर जगदीश प्रसाद चौरसिया
तनय श्री कन्हैयालाल चौरसिया
निवासी किशोर सागर काम्पलेक्स छतरपुर
द्वारा मुख्त्यारआम नीरज चौरसिया पुत्र श्री
जगदीश प्रसाद चौरसिया निवासी खेरे की
देवी रोड छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग नौगांव
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, सागर

..... अनावेदकगण

**पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध तहसीलदार छतरपुर के द्वारा पंजीकृत प्रकरण कमांक 40/अ/68/ 10–11 में जारी सूचना पत्र दिनांक 18.4.2011 व उन्मान शासन बनाम नीरज चौरसिया आदि ।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है

**प्रकरण के तथ्य :–**

(अ) यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम बगोता के सर्वे कमांक 40 / 11/ 1 रकवा 0.599 हे. का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण कमांक – निग0 758–दो/11 जिला – छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16-1-17 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 40/अ–68/10–11 में जासरी कारण बताओ सूचनाप पत्र दिनांक 18–4–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।<br>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है ।<br>3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यह निगरानी प्रीमैच्युर होने से निरस्त कीजाये क्यों कि तहसीलदार ने अभ कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है बल्कि आवेदक को अभी कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया है, आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है ।<br>4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को अभी सूचनापत्र जारी किया गया है जिसमें आवेदक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है । उक्त सूचनापत्र का जबाव प्रस्तुत न कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि आवेदक प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है ऐसी स्थिति में यह निगरानी प्रीमैच्युर होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।<br>सदस्य | |